न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 14/2012
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. लादूराम पुत्र रघुनाथ, जाति—जाट, निवासी—जयसिंहपुरा खोर, तहसील—जयपुर।
2. तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितिः—

1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री महेशचंद शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्र कुमार पारीक, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 29.11.2019**

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर ख0नं0 1933 के हाल ख0नं0 2269 के हिस्सा 1/12 पर अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे व काश्त के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा वाद सं0 226/1994 में निर्णय दिनांक 21.09.1996 को अप्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया था। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां अपील सं0 33/1996 दायर की गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 01.01.2000 को अप्रार्थी लादूराम के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी लादूराम को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसके विरूद्ध तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ में अपील दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.08.2006 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई। उक्त निर्णयों की पालना में तहसीलदार, जयपुर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर की पालना में मुताबिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में रिट सं0 3454/2007 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर होते हुए भी तहसीलदार, जयपुर द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.09.2007 निर्णय पारित किया गया है। अतः यह राजस्व रेफरेन्स स्वीकार किया जा कर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें।

उक्त आशय का राजस्व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर उभयपक्षों को नोटिस जारी किया गया।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर ख0नं0 1933 के हाल ख0नं0 2269 के हिस्सा 1/12 पर अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे व काश्त के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 21.09.1996 अप्रार्थी के विरूद्ध पारित किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां अपील दायर की

Scanned with CamScanner

गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 01.01.2000 को अप्रार्थी लादूराम के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी लादूराम को वादग्रस्त भूमि का 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जिसके विरूद्ध तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ में अपील दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.08.2006 के द्वारा तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई। उक्त निर्णयों की पालना में तहसीलदार, जयपुर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर की पालना में मुताबिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के निर्णय पारित किया गया। तत्कालीन तहसीलदार, जयपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में रिट सं0 3454/2007 दायर होते हुए भी विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में निर्णय दिनांक 17.09.2007 पारित कर दिया गया। वर्तमान में यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने पर यह निणर्य निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेफरेन्स स्वीकार किया जा कर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 के विद्वान् अभिभाषक द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। बार–बार आवाज लगवाने के बाद भी ना तो अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उपस्थित ना ही अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक उपस्थित हुए। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 उपस्थित। विद्वान् अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार, जयपुर द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर होते हुए भी निर्णय पारित किया गया है। सिवायचक भूमि होने के कारण यह भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम जयसिंहपुरा खोर ख0नं0 1933 के हाल ख0नं0 2269 के हिस्सा 1/12 पर अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे व काश्त के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा वाद सं0 226/1994 में निर्णय दिनांक 21.09.1996 को अप्रार्थी के विरूद्ध पारित किये जाने के पश्चात् माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश तत्कालीन तहसीलदार, जयपुर द्वारा पारित किये गये है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा उक्त निर्णयों की पालना से पूर्व श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए था, परन्तु तहसीलदार, जयपुर द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाये बिना ही मनमाने रूप से वादग्रस्त निर्णय दिनांक 17.09.2007 पारित किया गया है। उक्त निर्णय पर श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर के पत्रांक आर 18 बी (12) 2006/अपील/12604 दिनांक 28.09.2007 द्वारा नामान्तरकरण संबंधित कार्यवाही के आदेश पर राज्य हित में रोक लगाई गई है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के साथ अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किये गये कब्जे काश्त की ना तो कोई जानकारी उपलब्ध कराई है ना ही उपखण्ड अधिकारी, जयपुर, राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत रेफरेन्स के संलग्न प्रेषित की गई है। राजस्व रेफरेन्स अपूर्ण प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण की सम्पूर्ण तथ्यात्मक वस्तुस्थिति की जानकारी के अभाव में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना संभव नही है। अतः

सत्यमेव जयते
जयपुर जिला–जयपुर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, जयपुर द्वारा अपूर्ण रेफरेन्स प्रस्तुत करने के कारण तहसीलदार, जयपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करावें और प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, जयपुर, राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियों एवं गत तथा हाल राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियों सहित पुनः 3 माह में रेफरेन्स सुदृढ़ आधारों के साथ पेश करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.11.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2020.02.25 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: